9/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित
वकील अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस को सुना
गया। वकील अपीलान्ट ने अपील प्रार्थना पत्र
मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे कथन
किया गया कि ग्राम पंचायत डूंगला द्वारा विधि
विरुद्ध तरीके से पक्षकारो को सुने बिना व
अनुचित तरीके से खुमाणी बाई व दो पुत्रीयाँ, चांदी
बाई, व जमनाबाई के जीवित होने के बावजूद
नामान्तरण संख्या 144 ग्राम पंचायत डूंगला
द्वारा खोला गया जो विधि के विपरीत होकर
आदेश निरस्त योग्य है। तथा हमने पत्रावली
का एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर गहन
परीक्षण किया गया। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

→

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	क्रमांक एक लगायत ५ के कब्जेयाबी की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात मौजा डूंगला में स्थित होकर मौजा डूंगला के खाता संख्या ५६२ में वर्णित आराजी नम्बर 1136, 1141, 1142, 1143, 1159, 1437 कुल किता आराजी 6 कुल रकबा 4.9100 है। भूमि मृतक नाथू पिता माणा खटीक निवासी डूंगला के विधिक वारिसान पारिवारिक सजरा के अनुसार इनके दो पुत्र सवाईलाल, किशनलाल, व दो पुत्रियाँ चान्दीबाई, जमनाबाई, व बेवा खुमाणी बाई पत्नी है। उक्त आराजीयात में अपीलाण्ट को व रेस्पोडेण्ट क्रमांक एक लगायत चार के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज कराने का अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मौजा डूंगला के नामान्तरण संख्या 388 ग्राम पंचायत डूंगला द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-2-1983 को निरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार डूंगला को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि मृतक नाथू पिता माणा खटीक निवासी डूंगला के विधिक वारिसान की जांच कर उनके विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरण दर्ज करे। साथ ही राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार डूंगला को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी डूंगला	